

मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(122)

पत्रांक :- प्र०-23/उ०बि० (या०) आउटलेट-31-35/2018 1290 (3130) दिनांक :- 16/06/22

23.6.22

सेवा में,

मुख्य अभियंता, उत्तर

अधीक्षण अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ अंचल, दरभंगा।

V. H. 21.
23-06

विषय:-

पथ प्रमंडल, समस्तीपुर अन्तर्गत इमली चौक-समस्तीपुर पथ के मौजा-चकजियान, थाना नं०-48, खाता नं०-40, खेसरा नं०-37, जिला-समस्तीपुर में HPCL द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:-

- (i) आपका पत्रांक-910 (अनु०) दिनांक-28.05.2022
- (ii) विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1921 (S) दिनांक- 08.03.2018
- (iii) विभागीय पत्रांक- 4770 (E), दिनांक- 24.08.2017

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में पथ प्रमंडल, समस्तीपुर अन्तर्गत इमली चौक-समस्तीपुर पथ के मौजा-चकजियान, थाना नं०-48, खाता नं०-40, खेसरा नं०-37, जिला-समस्तीपुर में HPCL द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु पथ निर्माण विभाग की भूमि को पहुँच पथ के रूप में विकसित कर व्यवहार करने हेतु 05 (पाँच) वर्षों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र विभागीय निदेश (पत्रांक-4770 (ई०) दिनांक- 24.08.2017) तथा संकल्प ज्ञापांक- 1921 (S), दिनांक -08.03.2018 के आलोक में प्रदान की जाती है:-

1. पेट्रोल पम्प के अनुमोदित नक्शा की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल में लौटाई जाती है।
2. प्रत्येक 5 वर्ष के बाद विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 1921 (S) दिनांक- 08.03.2018 की कंडिका-6 के अनुपालन में विभाग द्वारा निर्धारित Renewal Fee जमा कराते हुए नवीकरण की जाएगी।
3. विभागीय पत्रांक 4770 (ई०) दिनांक 24.08.2017 के कंडिका-6 का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय।

अनु०:- मूल नक्शा की एक प्रति।

23.6.22

1330
23-6-22

विश्वासभाजन

16/06/22
मुख्य अभियंता, उत्तर
amir